न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–80/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/80)

1. लक्ष्मण पुत्र भवाना जाति पूर्बिया निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. चौथू पुत्र कल्याण, जाति रेगर, निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2. लादू पुत्र रामचंद्र(मृतक) जरिए वारिसान–
   2/1 पारसी पत्नी लादू
   2/2 रामसिंह पुत्र लादू
   2/3 हेमराज पुत्र लादू
   2/4 भूरी पुत्री लादू
   2/5 इन्द्रा पुत्री लादू
   2/6 कमलेश पुत्री लादू
   2/7 ललिता पुत्री लादू
   सभी जाति जाट निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. श्रीमती भगवती पत्नी भवाना जाति पूर्बिया निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
4. हगामा पुत्र घासी जाति जाट निवासी सरसून्दा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 44/2018

उपस्थितः–

1. श्री मनीष खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/7 एवं 03 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–13.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। प्रकरण में तहसीलदार सरवाड की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.2.2022 को प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 9.2.2022 को प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 24.2.2022 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के आराजी में रास्ता स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किए कि तहसीलदार सरवाड, द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2.2.2022 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार सरवाड, द्वारा प्रस्तुत उक्त मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के शुरूआत में ग्राम फतहगढ की सीमा में स्थित खसरा संख्या 878 रकबा 9.22 है0 में से निकल रहा है। जिसका प्रार्थी ने वादपत्र में अंकित नहीं किया गया है जिसे आगे का रास्ता दिया जाना संभव नहीं है का अंकन किया गया है तहसीलदार सरवाड की मौका रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया पठन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के आगे स्थित खसरा संख्या 878 में से रास्ता नहीं दिया जा सकता इसके बावजूद भी अधनीस्थ नयायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किए बिना ही अपीलार्थी की कृषि आराजी में रास्ता निकालने एवं राजस्व रिकार्ड में इंन्द्राज किए जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी/प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सरवाड को पक्षकार नियोजित नहीं किया गया जबकि भूमिधारी होने के कारण राजस्थान सरकार उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्व प्रकरण में कृषि आराजीयात के भूमिधारी को पक्षकार नियोजित नहीं किया जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सरवाड की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में से चुनिन्दा तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रत्यार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ दिलाए जाने की मंशा संपूर्ण मौका रिपोर्ट पर निष्कर्ष नहीं दिया जाकर तथ्यों का निर्णय में हवाला दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट दौलतसिंह राठौड द्वारा अण्डरटेकिंग प्रदान की गई थी जबकि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी तथा प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अपील ओर से पैरवी किए जाने हेतु कभी भी एडवोकेट दौलतसिंह राठौड को अधिकृत नहीं किया गया तथा ना ही कोई निर्देश जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी तथा प्रत्यार्थी संख्या 2 से 4 की जानकारी तथा सहमति के बिना ही एडवोकेट दौलतसिंह राठौड द्वारा अण्डरटेंकिग दिए जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की कभी भी जानकारी नहीं हो सकी और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में बताया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बालापुरा तहसील सरवाड के खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72 रकबा 1.11 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी है प्रार्थी की उक्त आराजी के पास खसरा नम्बर 58 अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 68 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा खसरा नम्बर 67 अप्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में जाने का रास्ता सरकारी भूमि खसरा नम्बर 50 से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 58 की उत्तरी मेर व खसरा नम्बर 67 व 68 की संयुक्त मेर जो खसरा नम्बर 68 के दक्षिण में है, से होकर जाता है तथा प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उक्त रास्ते का उपयोग कृषि कार्य हेतु करता आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेत में आने जाने के रास्ते का जगह-जगह खड्डे खोदकर अवरूद्ध कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 58,67,68 की मेर पर होकर उक्त रास्ता कायम किया जावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण सख्या 44/2018 चौथू बनाम लादू अंतर्गत 251ए आरटी एक्ट दिनांक 13.8.2018 से दिनांक 24.2.2022 का अवलोकन किया गया। दिनांक 16.10.2019 की प्रोसिडिंग निम्नअनुसार है-पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर अप्रार्थी 1 से 4 हाजिर नहीं अप्रार्थीगण को बार बार आवाजे दिलवाई गई कोई पक्षकार हाजिर नहीं एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता है। वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड से ली जाए तहरीर पत्र जारी कर मिसल दिनांक 22.11.2019 को पेश हो। दिनांक 24.1.2020 की प्रोसिडिंग के अनुसार तहसीलदार सरवाड से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 17.2.2020 को सरवाड तहसीलदार की रिपोर्ट पर वकील वादी/प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। दिनांक 14.7.2020 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18.9.2020 को स्वीकार किया गया और तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट मांगी

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गई। दिनांक 9.2.2022 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। दिनांक 24.2.2022 को निर्णय सुनाया गया। दिनांक 16.10.2019 की प्रोसिडिंग की अनुपालना में दिनांक 1.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड के द्वारा तहसीलदार सरवाड को अपीलाधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया था। किंतु रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने का हवाला दिया गया। उक्त मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार किए जाने के निर्देश थे। उक्त मौका रिपोर्ट ग्राम फतहगढ के संदर्भ में मंगवाई गई थी। तहसीलदार सरवाड द्वारा दिनांक 6.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड को संबोधित पत्र लिखकर यह बताया कि खसरा नम्बर 72 वादी प्रतिवादी के नाम दर्ज नहीं है। बाद में संशोधन के द्वारा ग्राम फतहगढ की जगह ग्राम बालापुरा अंकित करने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 2.2.2022 को नए सिरे से तहसीदार सरवाड द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मौका रिपोर्ट गिरदावर एवं पटवारी द्वारा दिनांक 31.1.2022 को बनाई गई है एवं उक्त रिपोर्ट तहसील कार्यालय में दिनांक 2.2.2022 को प्राप्त हुई है। उक्त मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को कोई नोटिस दिया जाना पत्रावली पर जाहिर नहीं होता है। ना ही उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा आक्षेप आमंत्रित किए गए है। उक्त अपीलाधीन आदेश तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस दिया जाना तथा मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2022 में यह अंकित किया गया कि "मौका निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि चाहा गया रास्ता ग्राम फतहगढ से चांदोलाई वाली सड़क में से ग्राम फतहगढ की सीमा में स्थित खसरा नम्बर-878 सरकारी में से होकर ग्राम धानमा के खसरा नम्बर 50 सरकारी व खसरा नम्बर 58, 67 व 68 खातेदारी में से होकर प्रार्थी की आराजी तक पहुंचता है चाहे गए रास्ते की शुरूआत ग्राम फतहगढ की सीमा में स्थित सरकारी खसरा नम्बर 878 रकबा 9.22 है0 आता है। जिसका दावा प्रार्थी ने वाद पत्र में नहीं किया है। जिससे आगे का रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।" उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

13/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner